झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. हिंसक कृत्यों का निषेध
4. अपराध का संज्ञान
5. दण्ड का प्रावधान
6. सम्पत्ति नुकसान की भरपाई
7. चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों द्वारा चिकित्सा नैतिकता का पालन करना तथा रोगी की चिकित्सा से संबंधित पूरी जानकारी का प्रकटीकरणः
8. चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थान की सुरक्षा
9. नियम बनाने की शक्ति
10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
11. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान, (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023

प्रस्तावना

चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पति को क्षति पहुँचाने की प्रवृति रोकने तथा उससे संबद्ध और अनुषांगिक विषयों पर सम्प्रति कोई अधिनियम नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार झारखण्ड राज्य में चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की प्रवृति रोकने तथा उससे संगत और अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु निम्न अधिनियम बनाते हैं:-

झारखण्ड के राज्य विधान-सभा द्वारा भारत गणराज्य के 74 वें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,:

1. संक्षित नाम,विस्तार एवं प्रारंभ :-

(1) इस अधिनियम को झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक , 2023 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसक कार्रवाई एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) की सम्पति को नुकसान पहुँचाने संबंधी घटनाओं की रोक-थाम करने के निमित्त प्राख्यापित किया जा रहा है।

(4) यह अधिनियम उन सभी सरकारी संस्थानों एवं अधिकृत/निबंधित निजी संस्थानों पर लागू होगा जो प्रचलित नियमो और अधिनियम के तहत चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं।

(5) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. <u>परिभाषाएँ :-</u>

(क) "चिकित्सा सेवा" से अभिप्रेत है चिकित्सा सेवा प्रदान करना एवं रोगियों की सेवा करना एवं बच्चे के जन्म के संदर्भ में जन्म के पूर्व एवं जन्म के बाद की देखभाल एवं उससे संबद्ध अथवा बीमारी, चोट, शारीरिक अथवा मानसिक असक्त व्यक्ति को दी जाने वाली नर्सिंग सेवा ।

(ख) "चिकित्सा सेवा संस्थान" से अभिप्रेत है नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010, इसमें समय समय पर होने वाले संशोधन के अधीन निबंधित चिकित्सा महाविद्यालय सहित ऐसी समस्त संस्थाएँ जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय आदि के द्वारा स्थापित, प्रबंधित अथवा इनके नियंत्रणाधीन हो एवं जनता को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करा रही हो। इसमें बीमारी, चोट, शारीरिक अथवा मानसिक अशक्त व्यक्तियों को अंतः वासी एवं बर्हिवासी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले अस्पताल, निजी नर्सिंग होम, प्रसूति गृह आदि सम्मिलित है ।

(ग) चिकित्सा सेवा संस्थानों के संबंध में "चिकित्सा सेवा व्यक्ति" से अभिप्रेत :-

(i) पंजीकृत चिकित्सा प्रदाता (Registered Medical Practitioner) (औपबंधिक रूप से पंजीकृत सहित) जो चिकित्सा सेवा संस्थानों में कार्यरत हो,

(ii) पंजीकृत परिचारिकाएँ (Registered Nurses)

(iii) मेडिकल छात्र-छात्राएँ (Medical Students)

(iv) नर्सिंग छात्र-छात्राएँ (Nursing Students)

(v) चिकित्सा सेवा संस्थानों में नियुक्त एवं कार्यरत सह चिकित्सीय (Para Medical) कर्मी,

(vi) चिकित्सा सेवा संस्थानों में कार्यरत अन्य कोई व्यक्ति।

(घ) "हिंसा" से अभिप्रेत है, चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों को क्षति, जख्मी अथवा जान जोखिम में डालने संबंधी कृत्य एवं इसमें संबद्ध व्यक्तियों का अभित्रास, उन्हें कार्य सम्पादन में रूकावट पहुचाने की कार्रवाई सहित चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।

(ड़) "अपराधी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो स्वंय अथवा एक समूह/संगठन के सदस्य अथवा प्रतिनिधित्व करने वाला के द्वारा हिंसक कार्रवाई किया

जाता है अथवा प्रयास किया जाता है अथवा ऐसा कार्य करने हेतु दूसरे को उकसाता है।

(च) "रोगी एवं उनके परिजन" से अभिप्रेत है, चिकित्सा सेवा संस्थानों में चिकित्सा सेवा/सुविधा प्राप्त करने हेतु आये बर्हिवासी/ अर्न्तवासी रोगी एवं उनके परिजन (मित्र-शुभचिंतक सहित)।

(छ) "सक्षम न्यायालय" से अभिप्रेत है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया।

(ज) "उपायुक्त" से अभिप्रेत है, जिला का कार्यकारी प्रमुख ।

(झ) "सम्पति" से अभिप्रेत है, चल या अचल सम्पति ।

(ञ) "तकनिकी समिति" से अभिप्रेत है, हिंसा में हुये संपति का नुकसान के अनुमान के लिए तकनिकी विशेषज्ञों की गठित समिति ।

3. <u>हिंसक कृत्यों का निषेध:-</u>

चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा अथवा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा हिंसा, चिकित्सा सेवा अवरूद्ध करने सहित, चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पति को नुकसान/क्षति पहुँचाने संबंधी कोई कार्य निषिद्ध होगा।

4. <u>अपराध का संज्ञान:-</u>

धारा-3 के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय होगा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम-41 ए के प्रावधान का अनुपालन किया जायेगा। जिसका अनुसंधान आरक्षी उपाधीक्षक स्तर से अन्यून पदाधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी। अपराध का विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

5. <u>दण्ड का प्रावधान:-</u>

(1) धारा-3 का उल्लंधन कर चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसक कार्रवाई अथवा किसी चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पति को नुकसान/क्षति पहुचाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कारावास, जो अधिकतम दो वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माना, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) ऐसा अपराध संज्ञेय होगा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम-41 ए के प्रावधान का अनुपालन किया जायेगा।

6. <u>सम्पति नुकसान की भरपाई:-</u>

(1) धारा-5 में प्रावधानित दण्डों के अतिरिक्त, न्यायालय, न्याय निर्णय पारित करते समय अपराधी व्यक्ति को चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पति की नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में लागत मूल्य की राशि, जिसे न्याय निर्णय में स्पष्ट किया जायेगा, का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा।

(2) अपराधी यदि उक्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करते है तो राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूला जा सकेगा एवं संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान को विधिवत भुगतान किया जाएगा ।

(3) यदि सरकारी चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पति को नुकसान/हानि हुआ है, तो जिले के उपायुक्त, सरकारी सेवा में कार्यरत अभियंताओ, सरकारी चिकित्सको तथा चिकित्सीय उपकरणों के जानकार विशेषज्ञों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करते हुए सक्षम तकनीकी समिति का गठन करेंगे । ऐसी तकनीकी समिति चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पति के नुकसान/हानि का भौतिक रूप से आकलन करने के लिए स्थल का दौरा करेगी और जहाँ तक संभव हो सभी हितधारकों के सामने आकलन करेगी, जिसके लिए ऐसे सभी हितधारकों को उचित नोटिस दिया जाएगा।

(4) तकनीकी समिति संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान के परिसरों के निरीक्षण के बाद 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत करेगी।

(5) तकनीकी टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान के प्रभारी सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत उपरोक्त क्षति/ हानि की राशि की वसूली के लिये उचित कदम उठाएंगे।

7. <u>चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों द्वारा चिकित्सा नैतिकता का पालन करना तथा रोगी की चिकित्सा से संबंधित पूरी जानकारी का प्रकटीकरण:-</u>

(1) चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों का दायित्व होगा कि वे बर्हिवासी/ अर्न्तवासी रोगी को दी जानेवाली या दी गयी चिकित्सा से संबंधित सम्पूर्ण सूचना लिखित रूप में पारदर्शी तरीके से रोगी अथवा उनके परिजनों को उपलब्ध करायेंगे।

(2) प्रत्येक चिकित्सा सेवा संस्थान अपने यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधा तथा उसपर आने वाले अनुमानित व्यय के संबंध में जनता को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपने परिसर के दृश्यमान जगह पर प्रदर्शित करेंगे ।

(3) चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थाएँ यह सुनिश्चित करेंगे कि वे रोगियों अथवा चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु उनके पास आये व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्रावधानित चिकित्सा नैतिकता का पालन करेंगे तथा आकस्मिक दुर्घटना मरीजों का प्राथमिक उपचार अनिवार्य रूप से करेंगे।

(4) चिकित्सा के क्रम में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मृत-शरीर चिकित्सा बिल भुगतान की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम संस्कार हेतु सुपूर्द किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। दावे के भुगतान हेतु चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संस्थान द्वारा यथा नियम कार्रवाई की जा सकेगी।

(5) उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान के निबंधन को निलंबित करने की कार्रवाई की जायेगी तथा चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जायेगी।

(6) चिकित्सक या चिकित्सा सेवा संस्थानों द्वारा दुर्व्यवहार या गलत इलाज के लिये दर्ज की गई शिकायत के मामले में , जिले के उपायुक्त एक ऐसे अधिकारी द्वारा जाँच का गठन करेंगे जो अनुमंडल पदाधिकारी के पद से अनुन्य ना हो ।

इस तरह की जाँच करने हेतु सभी हितधारको को स्थान, तारीख और समय के बारे में सूचित करते हुए कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जाँच पारदर्शी तरीके से की जाएगी ।

ऐसी जाँच के गठन के 15 दिनों के भीतर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

उपायुक्त नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010, इसमें समय समय पर होने वाले संशोधन के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार ऐसी जाँच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेंगे ।

8. <u>चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थान की सुरक्षा:-</u>

(1) चिकित्सा सेवा संस्थान परिसर में सी.सी.टी.वी कैमरा की व्यवस्था तथा सवेदनशील जगह पर सुरक्षा टीम की तैनाती सुनिश्चित करेंगे ।

(2) चिकित्सा सेवा संस्थान निगरानी और त्वरित कारवाई हेतु केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ।

(3) चिकित्सा सेवा संस्थान के परिसर में हमेशा प्रवेश को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित किया जाएगा ।

(4) हिंसा करने वाले व्यक्ति एवं समूह के विरुद्ध संस्थागत प्राथमिकी दर्ज कर मामले पर त्वरित कारवाई सुनिश्चित किया जाएगा ।

(5) सभी चिकित्सा सेवा संस्थान एवं थाना में चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियो के विरुद्ध हिंसा को रोकने एवं चिकित्सा संस्थान की सम्पत्ति की अभिरक्षा से संबंधित कानूनों को परिसर के दृश्यमान स्थानों पर प्रदर्शित करेंगे।

(6) उपायुक्त द्वारा चिकित्सा में की गई लापरवाही की निगरानी हेतु अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से अनून्य चिकित्सक को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

(7) चिकित्सा सेवा संस्थान की अवसंरचना भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुरूप होने चाहिए ।

9. <u>नियम बनाने की शक्ति:-</u>

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

10. <u>कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-</u>

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

11. <u>अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना:-</u>

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे इसके अल्पीकरण में न होंगे।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य में चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पति को क्षति पहुँचाने की प्रवृति रोकने तथा उससे सम्बद्ध और अनुषांगिक विषयों के लिए सम्प्रति कोई अधिनियम नहीं है। इस निमित्त झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थानों (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) अधिनियम, 2023 को अधिनियमित किया जाना समय की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपरोक्त अधिनियम को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(बन्ना गुप्ता)
भारसाधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 27(A)--200--18-3-2023 ।